ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016: 2018 के संशोधनों के साथ 2016 के बिल की तुलना

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016 को 2 अगस्त, 2016 को संसद में पेश किया गया।[1] बिल एक तीसरे जेंडर, यानी ट्रांसजेंडर की रचना करता करता है, उन्हें अधिकार प्रदान करता है और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाता है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने बिल की समीक्षा की और 21 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।[2]

2016 के बिल के कुछ संशोधन 17 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को संशोधनों के साथ 18 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[3] निम्नलिखित तालिका में 2016 के बिल के प्रावधानों की तुलना 2018 के बिल से की गई है।

तालिका 1: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016 और दिसंबर 2018 में लोकसभा में पारित बिल के बीच तुलना

ट्रांसजेंडर बिल (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2016	लोकसभा में पारित बिल (2018 का बिल)
ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा	
▪ बिल कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जोकि (i) न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरुष, (ii) महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन है, या (iii) न तो महिला है और न ही पुरुष। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और जिसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष), ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर भी आते हैं।	▪ 2018 का बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित को हटाता है: क) न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरुष, (ii) महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन है, या (iii) न तो महिला है और न ही पुरुष। ख) जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। ▪ बिल अब कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। 2018 के बिल में सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिंजड़ा, अरवानी और जोगता भी शामिल हैं। ▪ बिल एक व्यक्ति को इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति के रूप में पारिभाषित करता है, जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसम्स या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं।
पहचान के संशोधित सर्टिफिकेट को जारी करना	
▪ एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति 'ट्रांसजेंडर' के तौर पर अपनी पहचान का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। अगर लिंग में कोई परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति संशोधित सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। ▪ जिला स्क्रीनिंग कमिटी के सुझाव पर जिला मेजिस्ट्रेट संशोधित सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।	▪ पहचान का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति तभी संशोधित सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है, अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है। ▪ आवेदन के साथ उस संस्थान के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां व्यक्ति ने सर्जरी कराई है। ▪ जिला मेजिस्ट्रेट, जिला कमिटी के सुझाव के बिना भी संशोधित सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।

रोशनी सिन्हा
roshni@prsindia.org

19 दिसंबर, 2018

इस्टैबलिशमेंट्स के लिए बाध्यताएं	
▪ 100 या उससे अधिक व्यक्तियों वाले प्रत्येक इस्टैबलिशमेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक्ट के अंतर्गत शिकायतों का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त करेंगे।	▪ 2018 का बिल इस सीमा को हटाता है और कहता है कि प्रत्येक इस्टैबलिशमेंट को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा।
▪ बिल किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है जिसमें अनुचित व्यवहार करना या सेवा प्रदान करने से इनकार करना शामिल है।	▪ बिल इन बाध्यताओं को इस्टैबलिशमेंट्स पर भी लागू करता है।
कल्याणकारी योजनाएं	
▪ सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बीमा योजना के अंतर्गत मेडिकल खर्च का कवरेज प्रदान करेगी।	▪ बीमा कहता है कि सरकार किसी बीमा योजना के अंतर्गत सेक्स रीएसाइनमेंट सर्जरी, हारमोनल थेरेपी, लेजर थेरेपी या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की किसी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मेडिकल कवरेज प्रदान करेगी।
राष्ट्रीय परिषद की भूमिका	
▪ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और विधानों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया जाएगा।	▪ राष्ट्रीय परिषद को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

Sources: The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016; The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018, as passed by Lok Sabha; PRS.

[1]. The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Transgender_Persons_Bill%2C_2016_1.pdf.

2. Report No. 43, Standing Committee on Social Justice and Empowerment: 'The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016', Lok Sabha, July 21, 2017, http://164.100.47.193/lsscommittee/Social%20Justice%20&%20Empowerment/16_Social_Justice_And_Empowerment_43.pdf.

3. The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Transgender_Persons_Bill%2C_2016_1.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।